

दूसरी अनुसूची

[अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221]

भाग क

राष्ट्रपति और ^{1***} राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध

1. राष्ट्रपति और ^{1***} राज्यों के राज्यपालों को प्रति मास निम्नलिखित उपलब्धियों का संदाय किया जाएगा, अर्थातः--

राष्ट्रपति	² 10,000 रूपए ।
राज्य का राज्यपाल	³ 5,500 रूपए ।

2. राष्ट्रपति और ^{4***} राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्तों का भी संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल को तथा तत्स्थानी प्रांतों के गवर्नरों को संदेय थे ।

3. राष्ट्रपति और ⁵[राज्यों] के राज्यपाल अपनी-अपनी संपूर्ण पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जिनके इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः गवर्नर जनरल और तत्स्थानी प्रांतों के गवर्नर हकदार थे ।

4. जब उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है या उसके रूप में कार्य कर रहा है या कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जिनका, यथास्थिति, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल हकदार है जिसके कृत्यों का वह निर्वहन करता है या, यथास्थिति, जिसके रूप में वह कार्य करता है ।

⁶* * * * *

भाग ग

लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा ^{7***} ⁸[राज्य] की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध

7. लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के अध्यक्ष को संदेय थे तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष को और राज्यसभा के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के उपाध्यक्ष को संदेय थे ।

¹ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया ।

² 1990 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 के अनुसार अब (29-6-1990 से) यह "20,000 रूपए" है ।

³ 1987 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 के अनुसार अब (1-4-1986 से) यह "11,000 रूपए" है ।

⁴ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "ऐसे विनिर्दिष्ट" शब्दों का लोप किया गया ।

⁵ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "ऐसे राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा भाग ख का लोप किया गया ।

⁷ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क में के किसी राज्य का" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया ।

⁸ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "किसी ऐसे राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

SECOND SCHEDULE

[Articles 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164 (5), 186 and 221]

PART A

PROVISIONS AS TO THE PRESIDENT AND THE GOVERNORS OF STATES ^{1***}

1. There shall be paid to the President and to the Governors of the States ^{1***} the following emoluments per mensem, that is to say:—

The President .. ²10,000 rupees.

The Governor of a State .. ³5,500 rupees.

2. There shall also be paid to the President and to the Governors of the States ^{4***} such allowances as were payable respectively to the Governor-General of the Dominion of India and to the Governors of the corresponding Provinces immediately before the commencement of this Constitution.

3. The President and the Governors of ⁵[the States] throughout their respective terms of office shall be entitled to the same privileges to which the Governor-General and the Governors of the corresponding Provinces were respectively entitled immediately before the commencement of this Constitution.

4. While the Vice-President or any other person is discharging the functions of, or is acting as, President, or any person is discharging the functions of the Governor, he shall be entitled to the same emoluments, allowances and privileges as the President or the Governor whose functions he discharges or for whom he acts, as the case may be.

^{6*}

*

*

*

*

PART C

PROVISIONS AS TO THE SPEAKER AND THE DEPUTY SPEAKER OF THE HOUSE OF THE PEOPLE AND THE CHAIRMAN AND THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF STATES AND THE SPEAKER AND THE DEPUTY SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY ^{7***} AND THE CHAIRMAN AND THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE COUNCIL OF ⁸[A STATE]

7. There shall be paid to the Speaker of the House of the People and the Chairman of the Council of States such salaries and allowances as were payable to the Speaker of the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before the commencement of this Constitution, and there shall be paid to the Deputy Speaker of the House of the People and to the Deputy Chairman of the Council of States such salaries and allowances as were payable to the Deputy Speaker of the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before such commencement.

¹ The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

² Now 50,000 rupees, *vide* Act 23 of 1998, s. 2 (w.e.f. 1.1.1996).

³ Now 36,000 rupees, *vide* Act 27 of 1998, s. 2 (w.e.f. 1.1.1996).

⁴ The words "so specified" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

⁵ Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "such States".

⁶ Part B omitted by s. 29 and sch., *ibid.*

⁷ The words and letters "of a State in Part A of the First Schedule" omitted by s. 29 and Sch., *ibid.*

⁸ Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "any such State".

8. 1*** राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ²[राज्य] की विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः तत्स्थानी प्रांत की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को संदेय थे और जहां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत की कोई विधान परिषद् नहीं थी वहां उस राज्य की विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उस राज्य का राज्यपाल अवधारित करे ।

भाग घ

उच्चतम न्यायालय और ³*** उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

9. (1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात्:--

मुख्य न्यायमूर्ति	⁴ [10,000 रूपए]
कोई अन्य न्यायाधीश	⁵ [9,000 रूपए :]

परंतु यदि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय में सेवा के लिए उसके वेतन में से ⁶[निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात् :--

(क) उस पेंशन की रकम ; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम ; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन ।]

(2) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, बिना किराया दिए, शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा ।

(3) इस पैरा के उपपैरा (2) की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले--

(क) फेडरल न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 374 के खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, या

(ख) फेडरल न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त खंड के अधीन उच्चतम न्यायालय का (मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) न्यायाधीश बन गया है,

उस अवधि में, जिसमें वह ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू नहीं होगी और ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश, जो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश बन जाता है, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के जो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश बन जाता है, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है जो वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था ।

¹ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी राज्य का" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया ।

² संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "ऐसा राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 25 द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों में" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया ।

⁴ संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) "5,000 रूपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 4 द्वारा (1-4-1986 से) "4,000 रूपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 25 द्वारा "उस पेंशन की राशि घटा दी जाएगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

8. There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly ^{1***} and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of ²[a State] such salaries and allowances as were payable respectively to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the President and the Deputy President of the Legislative Council of the corresponding Province immediately before the commencement of this Constitution and, where the corresponding Province had no Legislative Council immediately before such commencement, there shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of the State such salaries and allowances as the Governor of the State may determine.

PART D

PROVISIONS AS TO THE JUDGES OF THE SUPREME COURT AND OF THE HIGH COURTS ^{3***}

9. (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say:—

The Chief Justice	..	⁴ [10,000 rupees.]
Any other Judge	..	⁵ [9,000 rupees.]

Provided that if a Judge of the Supreme Court at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Governments, his salary in respect of service in the Supreme Court ⁶[shall be reduced—

(a) by the amount of that pension, and

(b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity].

(2) Every Judge of the Supreme Court shall be entitled without payment of rent to the use of an official residence.

(3) Nothing in sub-paragraph (2) of this paragraph shall apply to a Judge who, immediately before the commencement of this Constitution,—

(a) was holding office as the Chief Justice of the Federal Court and has become on such commencement the Chief Justice of the Supreme Court under clause (1) of article 374, or

(b) was holding office as any other Judge of the Federal Court and has on such commencement become a Judge (other than the Chief Justice) of the Supreme Court under the said clause,

during the period he holds office as such Chief Justice or other Judge, and every Judge who so becomes the Chief Justice or other Judge of the Supreme Court shall, in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other Judge, as the case may be, be entitled to receive in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing immediately before such commencement.

¹ The words and letters “of a State specified in Part A of the First Schedule” omitted by s. 29 and Sch., *ibid.*

² Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for “such State”.

³ The words and letters “in State in Part A of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25.

⁴ Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 4, for “5,000 rupees” (w.e.f. 1-4-1986).

⁵ Subs. by s. 4, *ibid.*, for “4,000 rupees” (w.e.f. 1-4-1986).

⁶ Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25, for “shall be reduced by the amount of that pension”.

(4) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे युक्तियुक्त भत्ते प्राप्त करेगा और यात्रा संबंधी उसे ऐसी युक्तियुक्त सुविधाएं दी जाएंगी जो राष्ट्रपति समय-समय पर विहित करे ।

(5) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति छुट्टी के (जिसके अंतर्गत छुट्टी भत्ते हैं) और पेंशन के संबंध में अधिकार उन उपबंधों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे ।

10. ¹[(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :--

मुख्य न्यायमूर्ति	² [9,000 रूपए]
कोई अन्य न्यायाधीश	³ [8,000 रूपए :]

परंतु यदि किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्च न्यायालय में सेवा के लिए उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात् :--

(क) उस पेंशन की रकम ; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम ; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन ।]

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले--

(क) किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 376 के खंड (1) के अधीन तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, या

(ख) किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय का (मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) न्यायाधीश बन गया है,

यदि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट दर से उच्चतर दर पर वेतन प्राप्त कर रहा था तो, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है जो वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था ।

⁴[(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले, पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, यदि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले अपने वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में कोई रकम प्राप्त कर रहा था तो, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में वही रकम प्राप्त करने का हकदार होगा ।]

11. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “मुख्य न्यायमूर्ति” पद के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है और “न्यायाधीश” पद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश है ;

(ख) “वास्तविक सेवा” के अंतर्गत--

¹ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 25 द्वारा उपपैरा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1998 के अधिनियम सं0 18 की धारा 4 के अनुसार अब (1-1-1996 से) यह “30,000 रूपए” है ।

³ 1998 के अधिनियम सं0 18 की धारा 4 के अनुसार अब (1-1-1996 से) यह “26,000 रूपए” है ।

⁴ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 25 द्वारा उपपैरा (3) और उपपैरा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) Every Judge of the Supreme Court shall receive such reasonable allowances to reimburse him for expenses incurred in travelling on duty within the territory of India and shall be afforded such reasonable facilities in connection with travelling as the President may from time to time prescribe.

(5) The rights in respect of leave of absence (including leave allowances) and pension of the Judges of the Supreme Court shall be governed by the provisions which, immediately before the commencement of this Constitution, were applicable to the Judges of the Federal Court.

10. ¹[(1) There shall be paid to the Judges of High Courts, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say,—

The Chief Justice	..	² [9,000 rupees.]
Any other Judge	..	³ [8,000 rupees:]

Provided that if a Judge of a High Court at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Governments, his salary in respect of service in the High Court shall be reduced—

(a) by the amount of that pension, and

(b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.

(2) Every person who immediately before the commencement of this Constitution—

(a) was holding office as the Chief Justice of a High Court in any Province and has on such commencement become the Chief Justice of the High Court in the corresponding State under clause (1) of article 376, or

(b) was holding office as any other Judge of a High Court in any Province and has on such commencement become a Judge (other than the Chief Justice) of the High Court in the corresponding State under the said clause,

shall, if he was immediately before such commencement drawing a salary at a rate higher than that specified in sub-paragraph (1) of this paragraph, be entitled to receive in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other Judge, as the case may be, in addition to the salary specified in the said sub-paragraph as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing immediately before such commencement.

⁴[(3) Any person who, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, was holding office as the Chief Justice of the High Court of a State specified in Part B of the First Schedule and has on such commencement become the Chief Justice of the High Court of a State specified in the said Schedule as amended by the said Act, shall, if he was immediately before such commencement drawing any amount as allowance in addition to his salary, be entitled to receive in respect of time spent on actual service as such Chief Justice, the same amount as allowance in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph.]

11. In this Part, unless the context otherwise requires,—

(a) the expression “Chief Justice” includes an acting Chief Justice, and a “Judge” includes an *ad hoc* Judge;

(b) “actual service” includes—

¹ Subs. by s. 25, *ibid.*, for sub-paragraph (1).

² Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 4, for “4,000 rupees” (w.e.f. 1-4-1986).

³ Subs. by s. 4, *ibid.*, for “3,500 rupees” (w.e.f. 1-4-1986).

⁴ Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25, for sub-paragraphs (3) and (4).

- (i) न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य पालन में या ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिनका राष्ट्रपति के अनुरोध पर उसने निर्वहन करने का भार अपने ऊपर लिया है, बिताया गया समय है ;
- (ii) उस समय को छोड़कर जिसमें न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित है, दीर्घावकाश है ; और
- (iii) उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण पर जाने पर पदग्रहण-काल है ।

भाग ड

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध

12. (1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को *चार हजार रूपए प्रतिमास की दर से वेतन का संदाय किया जाएगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 377 के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है, इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है जो वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त कर रहा था ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन तथा अन्य सेवा-शर्तों के संबंध में अधिकार उन उपबंधों से, यथास्थिति, शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक को लागू थे और उन उपबंधों में गवर्नर जनरल के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं ।

* 1971 के अधिनियम सं0 56 की धारा 3 द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन का संदाय किया जाएगा । अब 1998 के अधिनियम सं0 18 द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन अब “30,000 रूपए” है ।

(i) time spent by a Judge on duty as a Judge or in the performance of such other functions as he may at the request of the President undertake to discharge;

(ii) vacations, excluding any time during which the Judge is absent on leave; and

(iii) joining time on transfer from a High Court to the Supreme Court or from one High Court to another.

PART E

PROVISIONS AS TO THE COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA

12. (1) There shall be paid to the Comptroller and Auditor-General of India a salary at the rate of *four thousand rupees per mensem.

(2) The person who was holding office immediately before the commencement of this Constitution as Auditor-General of India and has become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India under article 377 shall in addition to the salary specified in subparagraph (1) of this paragraph be entitled to receive as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing as Auditor-General of India immediately before such commencement.

(3) The rights in respect of leave of absence and pension and the other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India shall be governed or shall continue to be governed, as the case may be, by the provisions which were applicable to the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution and all references in those provisions to the Governor-General shall be construed as references to the President.

* The Comptroller and Auditor-General of India shall be paid a salary equal to the salary of the Judges of the Supreme Court vide Act 56 of 1971, s.3. The salary of judges of the Supreme Court has been raised to Rs. 9,000/- per mensem by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986.